भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +3448

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों पर इको-टूरिज्म का विकास

+3448.श्री मनोज कोटकः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन के विकास में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों पर इको-टूरिज्म परियोजना के विकास की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार की महाराष्ट्र और मुम्बई क्षेत्र में इको-टूरिज्म विकसित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन तथा शीतकालीन खेल को बढ़ावा देने के लिए करगिल (लद्दाख) में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना विकसित करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। होटल, रेस्तरां तथा रिसोर्ट के विकास सहित पर्यटन संबंधी निर्माण परियोजनाओं में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। पर्यटन संबंधी यात्रा एवं टूर प्रचालन एजेंसियों तथा सांस्कृतिक, एडवेंचर एवं वन्य जीवन अनुभव, फुरसत, मनोरंजन, एम्यूजमेंट, खेल एवं स्वास्थ्य, सुविधाएं प्रदान करने वाली इकाइयों, सम्मेलन/संगोष्ठी इकाइयों और संगठनों में भी स्वचालित रूट के तहत लागू विनियमों एवं कानूनों के अधीन एफडीआई की अनुमति है।

(ग) और (घ): अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों सहित पर्यटन स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने यह सूचित किया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लालाजी बे लोंग आईलैंड, स्मिथ आईलैंड, एव्स आइलैंड, तथा शहीद द्वीप में 4 इको पर्यटन परियोजनाओं और लक्षद्वीप में कैडमेट तथा सुहेली द्वीपों में दो परियोजनाओं का विकास पीपीपी मोड के तहत किए जाने की योजना है। गृह मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के संबंध में द्वीपसमूह प्रशासनों ने आर एफ क्यू के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन परियोजनाओं को स्वीकृति निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर दी जाती है। तथापि इको परिपथ थीम के तहत महाराष्ट्र की राज्य सरकार को किसी परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(च): लद्दाख सहित पर्यटक स्थलों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन एवं शीतकालीन खेलों के संवर्धन के लिए जनवरी 2021 में कारगिल में राष्ट्रीय एडवेंचर पर्यटन आयोजन (एनईएटी) का आयोजन किया था। मंत्रालय ने कारगिल, लद्दाख में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्किइंग एंड माउंटेनियरिंग (आईआईएसएम) का एक नया शाखा कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

****